मंथन क्रमांक 67

भूत–प्रेत, तंत्र–मंत्र, जादू–टोना

कुछ मान्य सिद्धान्त है।

1 धर्म और विज्ञान एक दूसरे के पूरक होते है वर्तमान समय मे इन दोनो के बीच संतुलन बिगड गया है।

2 जो कुछ प्राचीन है वही सत्य है ऐसा अंध विश्वास ठीक नही। जो कुछ प्राचीन है वह पूरी तरह असत्य है ऐसी आधुनिकता भी ठीक नही। सत्य और असत्य का निर्णय विद्वानो को विचार मंथन के द्वारा करना चाहिये।

3 किसी भी यथार्थ को अंतिम सत्य कभी नही मानना और कहना चाहिये। प्रकृति मे अंतिम सत्य होता ही नही। किसी विचार को अंतिम सत्य कहकर प्रचारित करने वाले बुरी नीयत के लोग होते है।

4 प्रकृति के रहस्य असीम हैं । पुराने रहस्यो पर विज्ञान पर्दा उठाता है तो नये रहस्य उसके सामने आ जाते है।

5 भारतीय मान्यता के अनुसार जो व्यक्ति जितना गंभीर विचारक होता है वह उतना ही बडा नास्तिक होता है। विचारक पूजा पाठ अथवा भक्ति और उपासना की अपेक्षा चिंतन पर अधिक जोर देते है।

6 श्रद्धा और विचार बिल्कुल अलग अलग होते है। ब्राम्हण प्रवृत्ति के लोग विचार प्रधान होते है तो अन्य तीन प्रवृत्तियो के लोग श्रद्धा प्रधान। दोनो व्यवस्था के लिये एक दूसरे के पूरक होने चाहिये।

7 विचार विहीन श्रद्धा व्यक्ति को मुर्खता की ओर बढा सकती है तो श्रद्धा विहीन विचार धूर्तता की ओर।

मै बचपन से ही आर्य समाज से जुडा रहा । प्रारंभ से ही मुझे स्वामी दयानंद के दो विचार याद रहे। 1 भूत प्रेत तंत्र मंत्र जादू टोना अस्तित्व हीन समस्याएं है। 2 प्रत्येक व्यक्ति को सत्य को ग्रहण करने तथा असत्य को छोडने के लिये हमेशा तैयार रहना चाहिये । इन दो बातो पर मैने बचपन से ही बहुत विचार किया कि यदि कभी मुझे स्वामी दयानंद का कोई कथन सत्य से दूर प्रतीत हो तो मै स्वामी जी के कथन को मानू अथवा अपने निष्कर्ष को । मैने इस संबंध मे बीच का मार्ग निकाला कि यदि ऐसी कोई स्थिति आती है तो मै स्वामी जी के कथन को असत्य नही कहूंगा किन्तु उसे सत्य भी न मानकर अपने निष्कर्ष को सत्य मानूगा। मै स्पष्ट कर दू कि मैने बचपन मे ही अष्टांग योग के माध्यम से बहुत आगे तक जाकर चिंतन मंथन मे क्षमता प्राप्त की थी। यदि मै 17 वर्ष की उम्र मे ही राजनीति के कीचड मे नही फंसा होता तो संभव है कि मेरी दिशा कुछ भिन्न होती।

बचपन मे ही मुझे परिवार ने यह बताया कि भूत–प्रेत, तंत्र–मंत्र, जादू–टोना का अस्तित्व भी है और उसका प्रभाव भी होता है। आर्य समाज ने मुझे यह बताया कि ये सब अस्तित्वहीन है और इनका कोई प्रभाव नही होता । मैने इस विषय मे अनुसंधान शुरू किया मै कई माह तक श्मसान मे सोकर अनुभव करता रहा । अन्य भी कई प्रकार से मैने सत्य को खोजने के प्रयास किये। 2004 तक के पचास वर्षो तक मेरे प्रयत्न जारी रहे। इस संबंध मे मैने कई घटनाओं को प्रत्यक्ष से देखा और स्वयं अनुभव भी किये । जब भी मुझे कही भूत–प्रेत होने की सूचना मिली तो मै उस स्थान पर जाकर पूरी खोज करता रहा। न तो मुझे कभी श्मसान मे भूत–प्रेत दिखा या अनुभव हुआ न ही किसी अन्य जगह पर । अधिकांश घटनाए किसी भ्रम या जालसाजी का परिणाम सिद्ध हुई। मैने सबके सामने ऐसी जालसाजियां सिद्ध भी करके बता दिया । मै जब आपात काल मे जेल मे था तो मुझे एक जादूगर द्वारा कुछ जादू देखने को मिला । जेल मे ही मैने रिसर्च करके अपने साथियों को वे सारे खेल दिखा दिये। कई बार ऐसे भी अवसर आये, जब भूत–प्रेत पीडित व्यक्ति को मैने मंत्र पढने का बहाना बनाकर उस पर फूक दिया तो वह व्यकित ठीक हो गया। मैने एक बार भूत–प्रेत का प्रभाव सिद्ध करने वालो को एक बहुत बडी राशि का इनाम देने की घोषणा की चुनौती दी। कई लोग आये। हजारों दर्शक एकत्रित हुए । झाड–फूक वालो ने पूरा प्रयत्न किया। किन्तु सफल नही हुए। मैने अपने शहर ही नही बल्कि आस पास के क्षेत्र तक भी किसी ऐसी जालसाजी ठगी को सफल नही होने दिया जो भूत–प्रेत जादू–टोना तंत्र मंत्र के नाम पर फैलायी जा रही हो। सिर्फ हिन्दुओ तक ही नही बल्कि मुसलमानों आदिवासियों तक मे मेरा विलक्षण प्रभाव था। आम तौर पर लोग ऐसे मामलो मे मुझसे सम्पर्क करते रहे।

इन सबके बाद भी कुछ ऐसी घटनाएं हुई जिन्हे मै न तो जालसाजी ही कह सका न अप्राकृतिक ही। मैने कई बार उपर से बडे बडे पत्थर गिरते देखे। सारा दिमाग लगाने के बाद भी मुझे मानना पडा कि यह मामला भिन्न है। एक परिवार के सभी सदस्य जब घर मे प्रवेश करते थे तो चाहे बालक हो अथवा वृद्ध, वे असामान्य हो जाते थे। उनके इलाज के लिये भी मुझे असमान्य प्रयत्न करने पडे। एक दो ऐसे भी जादू मैने देखे जिन्हे मै नही समझ सका। मैने जब भूत दिखाने की चुनौती दी और ओझा लोग भूत चढाने का मंत्र पढने लगे तब जिस पर भूत चढ रहा था वह भी उसका षणयंत्र नही था। मै आज तक नही समझा कि उस पर क्या प्रभाव था, और मेरे डाटते ही वह प्रभाव कैसे समाप्त हुआ । किन्तु यह सच है कि प्रभाव था और खत्म भी हुआ। एक भूत प्रभावित व्यक्ति के दोनो कानो मे पीपल की लकडी सटाकर तथा उसके दोनो हाथो की उंगलियों के बीच लकडी लगाकर दबाते ही भूत उतारने का प्रयोग मैने किया है। वह क्या था और कैसे उतर गया यह कारण और परिणाम मै आज तक नही समझ सका । असामान्य गतिविधि के बच्चो को झाड–फूक से भी ठीक होते मैने देखा है, और उन्ही बच्चो को डाक्टर से भी ठीक होते देखा है। यदि बीमारी थी तो दूर से फूक देने से कई माह के लिये ठीक कैसे हुई यह रहस्य मै अब तक नही सुलझा सका।

लम्बे समय तक पूरे प्रयत्न के बाद भी मै निश्चित रूप से यह नही कह सका कि भूत–प्रेत शारीरिक बीमारी है या मानसिक अथवा कोई प्राकृतिक प्रकोप भी है। अन्त मे हार थक कर मैने रामानुजगंज छोडते समय यह निष्कर्ष लिखा कि प्रकृति के अनसुलझे रहस्यो को भूत और सुलझ गये रहस्य विज्ञान कहे जाते है। जब तक हसने वाली गैस का शोध नही हुआ तब तक वह चमत्कार था और बाद मे विज्ञान बन गया। हिस्टीरिया की बीमारी का भी कुछ ऐसा ही इतिहास रहा है।

संभव है कि आज हम जिन घटनाओ को असमान्य मान रहे है वे भविष्य मे विज्ञान द्वारा सामान्यप्रमाणित कर दी जावे और हम उन्हे भूत–प्रेत, जादू–टोना, तंत्र–मत्र की जगह विज्ञान सम्मत घटनाए मानने लग जावे किन्तु जब तक विज्ञान प्रमाणितनही करता तब तक उन्हे किसी तर्क से असत्य सिद्ध करने का कोई औचित्य नही है। मैने रामानुजगंज मे जो प्रयोग किया उसके कारण वहां के आस पास के लोग भूत प्रेत के नाम पर होने वाले छल कपट और जालसाजी से बच गये। कुछ लोग तो यहां तक कहने लग गये कि आपका नाम बजरंग होने के कारण ही हो सकता है कि भूत–प्रेत, तंत्र–मंत्र आपसे डर कर दूर भागता है किन्तू मै जानता हूॅ कि इस कहानी मे कोई दम नही है। फिर भी इस कथन मे कुछ सच्चाई दिखती है कि मेरे द्वारा भूत–प्रेत के अस्तित्व को अस्वीकार करने के कारण मेरा मानसिक मनोबल उंचा हैं इसलिये मै इन सबसे प्रभावित नही होता । बल्कि टकराकर इनकी पोल खोल देता हूॅ। मुझे, मेरे परिवार को तथा मेरे निकट वर्ती मित्रो को यदि भूत प्रेत तंत्र मंत्र न मानने के कारण कोई सुरक्षा मिली हुई है तो फिर क्यो न अन्य लोग भी ऐसा ही प्रयास करे। न मानने वाले मानने वालो की तुलना मे अधिक संतुष्ट है। इसलिय मै समझता हूॅ कि इनके अस्तित्व के होने न होने की बहस से दूर रहते हुए इन्हे अस्वीकार कर दिया जाये।

मै पिछले साठ वर्षो के अनुभव से यह बताने की स्थिति मे हूॅ कि धीरे धीरे स्वाभाविक रूप से भूत–प्रेत की घटनाएं कम हो रही है। फिछले दस पंद्रह वर्षो से मैने रामानुजगंज शहर मे पत्थर गिरने की कोई भी घटना नही देखी। किसी व्यक्ति को भूत लगे ऐसी घटनाए भी बहुत ही कम हो गयी है। क्या प्रभाव है और क्यो भूत–प्रेत कम हो रहे है। यह समझ पाना मेरे बस की बात नही। किन्तु भूत प्रेत के नाम पर आज भी धूर्तो और ठगो का बाजार बंद नही हुआ है।

मै अब तक नही कह पा रहा हूॅ कि भूत प्रेत का अस्तित्व है या नही । किन्तु मेरी एक सलाह अवश्य है कि हम अपने व्यक्तिगत और पारिवारिक जीवन मे भूत–प्रेत, तंत्र–मंत्र के अस्तित्व को बिल्कुल स्वीकार न करे। किन्तु यदि कोई अन्य ऐसा मानता है तो हम उसके समक्ष ऐसा कोई दावा भी न करे कि वह झुठ बोल रहा है अथवा ऐसी घटनाए असत्य है। क्योकि असत्य कह देने मात्र से कोई बात असत्य नही हो जाती । यदि किसी व्यक्ति को किसी बीमारी का भूत प्रेत से इलाज कराने पर विश्वास हो तो उसे हम समझा सकते है कि वह ऐसा न करे और डा0 से इलाज करावे। किन्तु हम उसे जोर देकर न कहे अथवा कानून द्वारा उसे रोकने का प्रयास न करे तो अच्छा होगा। कई लोग अंध श्रद्धा उन्मूलन का अच्छा कार्य कर रहे है इस तरह वैचारिक धरातल पर इन घटनाओ को चुनौती दी जा सकती है। और दी जानी चाहियें किन्तु तोड मरोड कर या कुतर्क के माध्यम से मै भूत प्रेत तंत्र मंत्र को भ्रम सिद्ध करने पर अधिक जोर देने के पक्ष मे नही हूॅ । मै चाहता हूॅ कि विज्ञान निरंतर आगे बढकर ऐसे अंघ विश्वास की पोल खोलता जाए जिससे हम प्रकृति के अनसुलझे रहस्यो को वैज्ञानिक घरातल पर सुलझाने मे सफल हो सके।

मंथन क्रमांक 68

अभिमान, स्वाभिमान, निरभिमान

कुछ सर्वमान्य सिद्धांत हैं–

1 किसी इकाई का प्रमुख जितना ही अधिक भावनाप्रधान होता है, उस इकाई की असफलता के खतरे उतने ही अधिक बढते जाते हैं। दूसरी ओर जिस इकाई का संचालक जितना ही अधिक विचार प्रधान होता है उस इकाई की सफलता के अवसर उतने ही अधिक होते है।

2 भावनाप्रधान व्यक्ति का नेतृत्व अपनी इकाई को नुकसान पहुचाता है तथा अन्य इकाईयों को लाभ। विचार प्रधान नेतृत्व अपनी इकाई को तो लाभ पहुचाता है किन्तु अन्य के लिए लाभदायक भी हो सकता है और हानिकारक भी।

3 भावनाप्रधान नेतृत्व न तो समस्याओं का समाधान कर सकता है न ही समस्याएं बढाता है। विचार प्रधान नेतृत्व ही समस्याओं का विस्तार भी कर सकता है और समाधान भी।

4 चाहे व्यवस्था व्यक्तिगत हो, पारिवारिक हो अथवा सामाजिक। व्यवस्था प्रमुख को हमेशा भावना और बुद्धि के बीच समन्वय करने वाला होना चाहिए।

5 भावनाप्रधान व्यक्ति हमेशा शरीफ होता है और बुद्धिप्रधान आमतौर पर चालाक या धूर्त। बुद्धि और भावना का समन्वय ही समझदारी मानी जाती हैं।

हम यहॉ मान, अपमान,सम्मान, अभिमान, स्वाभिमान,निरभिमान जैसे विषय पर चर्चा कर रहे है और इस चर्चा में भी अभिमान स्वाभिमान और निरभिमान मुख्य विषय हैं। मैं जानता हूॅ कि विषय पूरी तरह नीरस और अरुचिकर है। मेरे जैसे सामान्य व्यक्ति के लिए तो ऐसी व्याख्या करना बहुत ही कठिन है किन्तु मंथन योजना के अंतर्गत यह नीरस और कठिन विषय शामिल है। इसलिए अपनी योग्यता और क्षमता के अनुसार मंथन के अतिरिक्त कोई अन्य मार्ग मेरे पास नहीं है।

चाहे स्वाभिमान हो या निरभिमान और अभिमान, सबका संबंध भावनाओं से ही है। कोई भी बुद्धिप्रधान व्यक्ति इन तीनों मानों से लिप्त नहीं होता क्योंकि व्यक्ति चाहे निरभिमानी हो अथवा स्वाभिमानी किसी समस्या का समाधान नहीं कर पाता, चाहे वह मामला इकाईगत प्रगति से जुडा हो अथवा सामाजिक समाधान का । समस्याएं पैदा करने में तो मुख्य रुप से

बुद्धिप्रधान व्यक्ति की ही प्रमुख भूमिका होती है। निरभिमानी की तो समस्याएं पैदा करने में कभी कोई भूमिका होती ही नहीं। अभिमानी व्यक्ति अवश्य कभी कभी समस्याएं पैदा कर लेता है। जो व्यक्ति अपनी योग्यता और क्षमता का ठीक ठीक आकलन न करके अपनी क्षमता बहुत अधिक मान लेता है और तदनुसार दूसरों के साथ व्यवहार करता है ऐसे व्यक्ति को अभिमानी माना जाता है। अभिमानी तो हमेशा गलत ही होता है। स्वाभिमानी और निरभिमानी परिस्थितिजन्य अच्छे और गलत हो सकते है। जब समाज की परिस्थितियां ठीक हो और प्रत्येक को व्यवस्था के द्वारा न्याय मिलने की पर्याप्त संभावना हो तब व्यक्ति को निरभिमानी होना चाहिए,स्वाभिमानी नहीं। किन्तु जब व्यवस्था ही गडबड हो, न्याय मिलने की संभावना न हो तब व्यक्ति को स्वाभिमानी होना चाहिए क्योकि ऐसे समय में निरभिमान समाज के लिए घातक होता है। इस संबंध में एक बात और विचारणीय है कि ब्राम्हण वैश्य तथा श्रमजीवी प्रवृत्ति का व्यक्ति आमतौर पर स्वाभिमानी नहीं हो सकता। क्षत्रिय अर्थात राजनैतिक सत्ता संघर्ष में लिप्त व्यक्ति या तो स्वाभिमानी होता है या तो अभिमानी। राजनीति से जुडा व्यक्ति कभी निरभिमानी हो ही नहीं सकता क्योंकि राजनीति से जुडा व्यक्ति विद्वान विचारक व्यवसायी श्रमिक भले ही कुछ भी हो किन्तु मान अपमान सम्मान से बहुत अधिक प्रभावित नहीं होते। ऐसे लोग परिस्थितियों के आधार पर भी समझौता कर लिया करते है। कहावत है कि एक कम्बल में चार साधु आराम से पूरी रात गुजार सकते है किन्तु एक राज्य में दो राजपुरुष न कभी स्वयं चैन से रहेंगे, न ही दूसरों को रहने देंगे क्योंकि हर मामले में उनका स्वाभिमान या अभिमान आडे आ जाता है।

मैंने इस संबंध में बहुत विचार किया और पाया कि भारत की वर्तमान राजनैतिक परिस्थितियों में आम लोगों को अपना स्वाभिमान बनाये रखने की आवश्यकता है क्योंकि राजनीति सम्पूर्ण समाज पर हावी हो गई है और राजनेताओं का इसी में हित है कि समाज के अन्य लोग सिर झुकाकर चलने की आदत डाल लें। परिस्थितियां बहुत विकट हैं। किसी न किसी को तो आगे आना ही होगा। अभिमान को कुचलने के लिए कोई निरभिमानी नेतृत्व सफल नहीं हो सकेगा। इसलिए वर्तमान परिस्थितियां बहुत जटिल है और इन जटिल परिस्थितियों में समाज को बहुत सोच समझकर आगे बढना चाहिए।

मंथन क्रमांक 69

उग्रवाद आतंकवाद और उसका भविष्य

कुछ सर्व स्वीकृत मान्यतायें हैं।

1 उग्रवाद मुख्य रूप से विचार तक सीमित होता है और आतंकवाद क्रिया मे बदल जाता है। आतंकवाद को कभी संतुष्ट या सहमत नहीं किया जा सकता । सिर्फ कुचलना ही उसका एकमात्र समाधान है।

2 किसी भी प्रकार की तानाशाही व्यवस्था मे उग्रवाद या आतंकवाद कभी नही बढता । लोकतांत्रिक व्यवस्था मे ही उग्रवाद आतंकवाद बढता है।

3 तानाशाही से मुक्ति के लिये उग्रवाद या आतंकवाद का समर्थन भी हो सकता है किन्तु लोकतंत्र मे किसी भी प्रकार के उग्रवाद का समर्थन नही किया जा सकता। आतंकवाद के समर्थन का तो कोई प्रश्न ही नही है।

4 वर्तमान समय मे भारत के अधिकांश गांधीवादी किसी न किसी रूप मे इस्लामिक या वामपंथी उग्रवाद और आतंकवाद का अप्रत्यक्ष समर्थन करते है।

सृष्टि के प्रारंभ से ही सफलता में शक्ति की भूमिका निर्णायक रही है। जो व्यक्ति जितना ही अधिक शक्तिशाली होता था वह उतना ही अधिक फायदे में रहता था। बाद में व्यक्तिगत शक्ति संगठित शक्ति में बदल गई और समूह की ताकत के बल पर राज्य बनने और बिगड़ने लगे। धीरे–धीरे यह भी स्थिति बदली और अब तो अस्त्र शस्त्र ही वास्तविक शक्ति के आधार बन गये हैं।

प्राचीन समय में शक्ति का प्रयोग या तो राज्य के लिये था या व्यक्तिगत। धर्म के लिये बल प्रयोग बहुत कम देखने को मिलता था क्योंकि प्राचीन समय में धर्म की परिभाषा संगठन न होकर आचरण से जुड़ी थी। धर्म के साथ हिंसा को सर्वप्रथम जोड़ा इस्लामिक कट्टरपंथियों ने। उन्होंने राजनीति को धर्म के साथ मिला लिया और विस्तार के लिये आंशिक हिंसा को आधार मान लिया। स्वाभाविक ही था कि इस्लाम को अपने द्रुत विस्तार में उसका लाभ मिला। दुनिया में जितनी तीव्र गति से इस्लाम का विस्तार हुआ उतना और किसी धर्म का नहीं हुआ। धार्मिक इस्लाम का भी नहीं। हिन्दू तो बेचारे इस दौड़ में रहे ही नहीं क्योंकि हिन्दुओं ने कभी धर्म, राजनीति और हिंसा को एक साथ जोड़ कर देखा ही नहीं।

हिंसा की उपयोगिता को इस्लाम के बाद ठीक से समझा साम्यवाद ने। इन्होंने धर्म, राजनीति और हिंसा को एक साथ न मिलाकर गरीबी, राजनीति और हिंसा को एक साथ मिला लिया। स्वाभाविक ही था कि हिंसा और द्वेष की बैशाखी पर सवार होकर साम्यवाद भी बहुत फला फूला। साम्यवाद ने भी बहुत कम समय में जितनी प्रगति की वह अभूतपूर्व और आश्चर्यजनक थी। साम्यवाद ने अर्ध तानाशाही का मार्ग चुना और प्रजातंत्र के साथ डटकर मुकाबला किया। एक बार तो ऐसा लगने लगा था

कि पूरी दुनिया में लोकतंत्र के स्थान पर साम्यवाद ही साम्यवाद छा जायेगा। भले ही बाद में वे सपने बिखर गये यह अलग बात है किन्तु बल प्रयोग ने साम्यवाद के नाम पर दुनिया में स्वयं को स्थापित तो कर ही लिया था।

ऐसे ही समय में भारत में बल प्रयोग की महत्ता को समझा आर.एस.एस. अर्थात् संघ ने। उसने महसूस किया कि धर्म राजनीति और हिंसा को मिलाकर यदि इस्लाम दुनिया में इतने पैर फैला सकता है तो हिन्दू भारत में क्यों नहीं सफल हो सकता।

हिन्दुत्व के पास भारत में संख्या बल है। समृद्ध विज्ञान है, उज्जवल भूतकाल का इतिहास है। उनके पास इस्लामिक उग्रवाद के विरूद्ध प्रतिक्रिया का भी अच्छा अवसर उपलब्ध है। इस्लाम के पास तो यह सब नहीं। फिर हमें प्रगति करने में क्या बाधा है। स्वाभाविक ही था कि संघ भी बहुत तेज गति से बढ़ा। बहुत कम समय में ही संघ एक राजनैतिक ताकत बन गया। अपने महत्वपूर्ण विस्तार काल में ही यदि संघ और गांधी हत्या कांड एक साथ नहीं जोड़े गये होते तो संघ का विस्तार किसी के रोकने से रूकने वाला नहीं था किन्तु एक अप्रत्याशित घटना ने संघ को बहुत नुकसान किया। फिर भी संघ ने धीरे धीरे स्वयं को पुनः स्थापित कर लिया और तीन चार वर्ष से तो स्पष्ट आसार दिखने लगे कि संघ भारतीय राजनीति में निर्णायक बढ़त प्राप्त कर चुका है। इस तरह दुनिया में शक्ति के बल पर इस्लाम और साम्यवाद ने स्वयं को स्थापित कर लिया और भारत में संघ ने। कोई भी व्यक्ति जब किसी दूसरे की गलती को रोकने के लिये बल प्रयोग करना उचित मानने और करने लगता तब ऐसे बल प्रयोग का औचित्य उग्रवाद मे बदलने लगता है। जब तक बल प्रयोग व्यक्तिगत स्वार्थ तक सीमित रहता है, तब तक ऐसे समूह को आपराधिक गिरोह तक सीमित माना जाता है किन्तु जब ऐसा बल प्रयोग किसी सिद्धान्त के आधार पर होता है तब वह अपराध न होकर उग्रवाद बन जाता है। हिंसा का औचित्य संगठित होकर उग्रवाद और अनियंत्रित होकर आतंकवाद बन जाता है। उग्रवाद मे आमतौर पर विचार प्रसार अधिक होता है और हिंसात्मक सक्रियता कम किन्तु आतंकवाद मे विचार प्रचार न होकर सक्रिय हिंसा ही लक्ष्य बन जाती है। तानाशाह देश मे उग्रवाद या आतंकवाद न के बराबर होता है । किन्तु तानाशाह देश अपने पडोसी देश मे हमेशा ही आतंकवाद को प्रश्रय दिया करते है। इसलिये यदि किसी देश मे तानाशाही है तो तानाशाही से मुक्ति के लिये उग्रवाद या आतंकवाद को एक मार्ग के रूप मे माना जा सकता है। किन्तु यदि किसी देश मे लोकतंत्र है तो किसी लोकतांत्रिक देश मे किसी व्यक्ति को किसी व्यक्ति के विरूद्ध बल प्रयोग ही अपराध है। उग्रवाद या आतंकवाद का तो किसी भी स्वरूप मे औचित्य होता ही नही। यदि किसी लोकतांत्रिक देश मे राज्य से भिन्न किसी बल प्रयोग का किसी भी रूप मे औचित्य सिद्ध करने की बात होती है तो वह सीधा सीधा उग्रवाद है और ऐसी बात का विरोध किया जाना चाहिये।

हिंसा जब सिद्धान्त के रूप में स्थापित होने लगती है और उसे सफलता भी मिलने लगती है। तब उसमें एक दोष शुरू होता है कि उसमें सीमाओं के सारे बंधन टूट जाते हैं। हिंसा उग्रवाद में और उग्रवाद आतंकवाद में बदल जाता है। यह हिंसा का स्वाभाविक दोष है। इस्लाम हिंसा से बढ़कर उग्रवाद में बदला और उग्रवाद से आतंकवाद में। आज से पचास वर्ष पूर्व इस्लाम में हिंसा का स्थान तो था और उसमें कुछ कुछ उग्रवाद भी था किन्तु उसमें आतंकवाद नहीं था। धीरे–धीरे इस्लाम आतंकवाद की दिशा में बढ़ा और फिर उसने आगे बढ़ने की अपेक्षा कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। साम्यवाद ने भी हिंसा को उग्रवाद में परिवर्तित किया और अफगानिस्तान, चेकास्लोवाकिया, तिब्बत आदि पर बलपूर्वक कब्जा कर लिया। यद्यपि साम्यवाद ने आतंकवाद का स्वरूप ग्रहण नहीं किया। भारत एक लोकतांत्रिक देश है। भारत मे उग्रवाद या आतंकवाद का कोई स्थान नही होना चाहिये किन्तु पूरा भारत पूरी तरह प्रभावित है। भारत एक ओर तो इस्लामिक आतंकवाद से पूरी तरह लहू लुहान है तो दूसरी ओर नक्सलवाद भी उसके लिये निरंतर संकट पैदा किये हुए है। दोनो ही विचार धाराएं गंभीर अपराध है क्योकि नक्सलवाद राज्य सत्ता के विरूद्ध सशस्त्र संघर्ष तक सीमित है तो इस्लामिक आतंकवाद राज्य सत्ता के साथ साथ सामाजिक व्यवस्था को भी तहस नहस करना चाहता है किन्तु नक्सलवादी आम नागरिकों की हत्या नहीं करते। वे बहुत चुनकर अपना टारगेट तय करते हैं। नक्सलवादियों की कोई घटना ऐसी प्रकाश में नही आई है जैसी वर्ल्ड ट्रेड सेन्टर, बम्बई बम काण्ड, ब्रिटेन रेल धमाका या बनारस का श्रमजीवी रेल धमाका हो। अपने टारगेट को मारने में यदि निर्दोष मरे तो वे परवाह नहीं करते किन्तु अनावश्यक निर्दोष हत्या से वे बचते हैं। इस संबंध मे संघ परिवार की सोच कुछ भिन्न है। इसलिये मेरे विचार में संघ को उग्रवादी तो मान सकते हैं पर आतंकवादी नहीं और इस्लामिक कट्टरपंथी आतंकवादी कहे जा सकते हैं। नक्सलवाद को घटना अनुसार उग्रवाद या आतंकवाद कह सकते है। साथ ही यह भी विचारणीय है कि संध परिवार का उग्रवाद किया के विरूद्ध प्रतिक्रिया तक सीमित रहता है जबकि इस्लाम हमेशा ही पहल करता है । इस्लामिक उग्रवाद अपने विस्तार का एक मुख्य माध्यम है तो संध का उग्रवाद सुरक्षात्मक ।

यह सत्य है कि हिंसा त्वरित प्रगति में सहायक होती है किन्तु दूसरी ओर यह भी सही है कि हिंसा आगे बढ़कर उग्रवाद और अंत में आतंकवाद में बदल जाती है और ज्योंही हिंसा का स्वरूप बदलता है त्योंही इसका पतन शुरू हो जाता है। आज पूरी दुनिया में इस्लाम संकट में है। एक भी ऐसा देश नहीं है जिसकी अब इनके साथ कोई सहानुभूति बची हो। चारों

ओर इस्लाम अविश्वसनीय हो गया है। पाकिस्तान के राष्ट्रपति को सारी दुनिया के समक्ष गिड़गिड़ाते हुए सफाई देनी पड़ रही है। ब्रिटेन के इस्लामिक विद्वानों ने सूझबूझ से काम लिया और आतंकवाद के विरूद्ध फतवा जारी कर दिया। अमेरिका के इस्लामिक विद्वान पता नहीं क्यों इस सच्चाई को स्वीकार करने में देर कर रहे हैं। इस्लाम के समक्ष अब अस्तित्व का संकट है। या तो कट्टरपंथियों को हिंसा, उग्रवाद और आतंकवाद को सदा सदा के लिये तिलांजलि देनी होगी या इस्लाम स्वयं को समाप्त कर लेगा। अब दुनिया आतंकवाद के खिलाफ एकजुट हो रही है।

साम्यवाद भी संकट में है। साम्यवाद दुनिया के नक्शे से तो करीब करीब गायब हो चुका है किन्तु भारत में नक्सलवाद के रूप में उसके अवशेष बचे हैं। केरल, और त्रिपुरा के साम्यवाद को आप साम्यवाद नहीं कह सकते क्योंकि ये साम्यवाद के टिमटिमाते हुए दीपक से अधिक अस्तित्व नही रखते । साम्यवाद को अपने अस्तित्व की रक्षा के लिये इस्लाम के कंधे का सहारा लेना ही स्पष्ट करता है कि वह अंतिम चरण मे है। नक्सलवाद भी अब निर्णायक दौर मे है। छत्तीसगढ का सरगुजा जिला पूरी तरह नक्सलवाद मुक्त हो चुका है। वहां से नक्सलवाद हार कर चला गया। बस्तर मे भी नक्सलवादियो के पैर उखड रहे है इसलिये साम्यवाद या नक्सलवाद अब चिंता के विषय नही । इस्लामिक आतंकवाद अब भी भारत के लिये चिंता का विषय बना हुआ है। इस्लामिक आतंकवाद से भारत अकेला नही निपट सकता क्योकि पूरे विश्व मे इस्लाम की तुलना मे हिन्दुत्व की शक्ति कमजोर मानी जाती है दूसरी ओर वैचारिक धरातल पर भी आम हिन्दू मुसलमानो की तुलना मे कई गुना अधिक सहजीवन पर विश्वास करने वाला माना जाता है। साथ ही पाकिस्तान और चीन का गठजोड भी उसे चिंतित करता रहता है फिर भी वर्तमान मोदी सरकार बहुत सूझ बूझ और कूटनीतिक तरीके से इस स्थिति से निपट रही है।
भारत मे संघ परिवार का विस्तार अब तक किसी समस्या के रूप मे सामने नही आया है। अब तक संघ परिवार ने नरेन्द्र मोदी की लगाम से मुक्त होने का कोई प्रयास नही किया है। मोदी निरंतर शक्तिशाली होते जा रहे है। प्रवीण तोगडिया सरीखे उग्रवादी भी बिलो से बाहर आ कर अपने अस्तित्वहीन आक्रमणो की धार कुंद कर चुके है। कुछ और भी छिपे हुए उग्रवादी बारी बारी से धराशायी दिखते जायेगे।

भारत मे इस्लामिक आतंकवाद के लिये सबसे बडा खतरा तो कांग्रेस पार्टी की सत्तर वर्षो से चली आ रही नीति मे आमूलचूल बदलाव दिखता है। यदि कांग्रेस पाटी और प्रवीण तोगडिया का वर्षो से चला आ रहा अप्रत्यक्ष प्रेम प्रत्यक्ष हो जाता है तो मोदी के लिये अच्छा होगा या बुरा यह विचारणीय प्रश्न नही । विचारणीय तो यह है कि फिर इस्लामिक उग्रवाद का भारत मे क्या होगा ? वैसे ही कांग्रेस पार्टी मुस्लिम उग्रवाद से अपनी दूरी बढाने मे प्रयत्न शील है और तोगडिया के बाद तो वह गति और तेज हो सकती है।

आतंकवाद के खिलाफ पूरी दुनिया के बीच तालमेल बढ रहा है। भारत भी उसका प्रमुख भागीदार है। भारत सरकार को इस संबंध मे जारी अपनी नीतियों मे कोई बदलाव नही करना चाहिये। आतंकवाद का खात्मा अकेला भारत नही कर सकता किन्तु इसका सबसे अधिक लाभ भारत को ही होने वाला है। भारत सरकार को संध परिवार की नासमझ जल्दवादी से सावधान होकर विश्व आतंकवाद विरोधी योजना के साथ पूरी तरह तालमेल रखना चाहिये।

आतंकवाद से निपटना तो सरकार का विषय है किन्तु उग्रवाद से निपटना तो सरकार का काम नही। उग्रवाद से तो समाज ही निपट सकता है। उग्रवाद किसी विचार प्रचार तक सीमित रहता हैं इसलिये उसे वैचारिक धरातल पर ही चुनौती देनी होगी । किसी भी प्रकार की हिंसा का समर्थन आगे बढकर उग्रवाद और उसके बाद आतंकवाद का स्वरूप ग्रहण कर लेता है। इसके लिये आवश्यकता है कि हम किसी भी मामले मे हिंसा अथवा उग्रवाद के साथ किसी भी रूप मे कोई सहभागिता न करे। परिस्थिति अनुसार समर्थन या सहयोग तक सीमित रहा जा सकता है। अभी भारत मे संध परिवार द्वारा इस्लामिक आतंकवाद को कडी टक्कर दी जा रही है। इसका अल्पकालिक समर्थन किया जा सकता है। किन्तु उग्रवाद अंततोगत्वा घातक ही होता है। इसलिये हमारा कर्तब्य है कि हम संघ परिवार के भी समर्थन सहयोग के प्रति सतर्क रहे। मै रामानुजगंज के तोगडिया को भी देख चुका हूँ जिसने अपने ही साथी को हराने के लिये मुसलमान समर्थित कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार का पूरा साथ दिया था और आज भी अपने को कटटर हिन्दू मानता है। इसलिये उग्रवादी तत्वो का कभी भरोसा मत करिये। ये कब किसके शत्रु हो जायेगे किसके मित्र यह स्पष्ट नही। हिन्दुत्व मे स्वयं इतनी शक्ति है कि यदि उसे शान्त और निष्पक्ष वातावरण मिले तो वह अपने गुणो के आधार पर ही दुनियां को प्रभावित कर सकता है। आवश्यकता है कि उसे शान्त वातावरण मिले। ऐसा वातावरण बनाने के लिये हमे उग्रवाद को भी निरूत्साहित करना आवश्यक है। उग्रवाद को हिन्दू मुसलमान मे विभाजित करने की अपेक्षा उग्रवाद और शान्ति व्यवस्था के बीच बाटने की आवश्यकता है। जो भी व्यक्ति हिंसा का समर्थक है उसे हम किसी भी रूप मे समर्थन नही कर सकते। हमारा तो उस व्यक्ति के लिये पूरा समर्थन है जो सहजीवन पर विश्वास करता है चाहे वह हिन्दू हो या मुसलमान ।

यदि दुनियां की राजनैतिक शक्ति योजना बनाकर आतंकवाद मुक्त दुनिया बना दे तथा हम भारत के लोग आपस मे मिलकर उग्रवाद मुक्त भारत बना सके तो यह प्रयास हम सब के लिये स्वर्णिम युग के समान माना जायेगा।

सामयिकी

न्यायपालिका का आपसी विवाद

भारत की न्यायपालिका ने एक नया इतिहास रचा जब सुप्रीम कोर्ट के चार वरिष्ठ न्यायधीशो ने मुख्य न्यायाधीश के खिलाफ प्रेस कांफ्रेस की। कुछ लोगो ने इसे लोकतंत्र पर संकट बताया तो कुछ ने इसे सरकार की असफलता । इस संबंध मे कुछ बाते स्वयं सिद्ध हैं।

1 विरोध करने वाले चार न्यायाधीशो की छवि इमानदार कार्यकुशल और वरिष्ठ के रूप मे विख्यात है।

2 किसी भी ईकाई के पास जब शक्ति बढने लगती है तब भ्रष्टाचार भी बढना उसका स्वाभाविक परिणाम होता है । जब भ्रष्टाचार बढता है तब आपसी टकराव भी बढना उसकी स्वाभाविक प्रक्रिया मे शामिल है।

3 मुख्य न्यायाधीश तथा अन्य युद्धरत न्यायाधीशो के बीच कोई सैद्धातिक टकराव नही था, बल्कि सत्ता संघर्ष था जो दीपक मिश्रा जी के मुख्य न्यायाधीश बनते ही जन्म ले चुका था और बढता गया।

4 विपक्ष ने इस टकराव को हवा देकर लाभ उठाने का पूरा प्रयास किया। इस प्रयास मे चारो न्यायाधीश हथियार के रूप मे प्रयुक्त किये गये।

5 न्यायाधीशो की प्रेस कान्फ्रेन्स ने दो समाधान कर दिये है । 1 न्यायिक सक्रियता की समस्या हल हो गई है। 2 विपक्ष के एक बडे हथियार की हवा निकल गई है।

दुनियां जानती है कि जब से भारत मे न्यायिक सक्रियता बढनी शुरू हुई है तब से न्यायपालिका मे भ्रष्टाचार भी बढना शुरू हुआ। ज्यों ज्यों न्यायपालिका ने अपनी सर्वोच्चता बढाने का प्रयास किया त्यो त्यो न्याय पालिका मे आपसी खीचतान भी बढनी शुरू हुई। ऐसा होना स्वाभाविक भी है क्योकि ऐसा प्रायः नही देखा जाता है कि कोई एक व्यक्ति किसी पद पर बैठकर पद का दुरूप्योग करते रहे और अन्य लोग समकक्ष होते हुए भी उसका मुंह देखते रहे। यह बात देश भर के सभी विभागो पर एक समान रूप से देखने को मिलती रहती है। यह अवश्य है कि मूंह देखने वाले लोग ऐसे टकराव को कोई सिद्धान्त के आवरण मे ढक देने का प्रयास करते है। न्यायिक टकराव का मामला भी इससे भिन्न नही है। एक ओर तो कहा जाता है कि सुप्रीम कोर्ट के सभी न्यायाधीश समान होते है, दूसरी ओर यह भी कहा जाता है क सुप्रीम कोर्ट मे वरिष्ठ और कनिष्ठ का भेद होता है। प्रेस कांफ्रेन्स करने वाले न्यायाधीश भी यह स्पष्ट नही कर सके कि इन दोनो बातो मे से वे किसे सच मानते है।

एक जस्टिस लोया का मामला बहुचर्चित है जिसे लेकर राजनीति दो भागो मे बट गई जिसमे विपक्ष तथा चार जजो का एक पक्ष बन गया तथा मुख्य न्यायाधीश एंव सरकार का दूसरा। तीन वर्ष पूर्व अमित शाह के विरूद्ध सोहराबुद्दीन हत्या केश मे जिस न्यायाधीश के पास केश चल रहा था उनकी अकस्मात मृत्यु हो गई थी। अब तीन वर्ष बाद कुछ जागरूक लोगो ने उस मामले की जाचं करने के लिये न्यायालय मे आवेदन दिया। उक्त आवेदन की जांच जिन जजो को सौपी गई उन जजो पर अमित शाह विरोधी पक्ष को विश्वास नही है। विपक्ष का आरोप है कि मुख्य न्यायाधीश ने जानबुझकर यह मामला ऐसी बेंच को दे दिया दूसरी ओर सत्ता पक्ष का मानना है कि विपक्ष ने जिन जजो को इस मामले के लिये सेट कर रखा था उससे भिन्न जज के पास मामला जाने से उनका षणयंत्र विफल हो जायेगा। कहा नही जा सकता कि सच्चाई क्या है किन्तु इतना स्पष्ट है कि न्यायपालिक मे सेट करने का धंधा लम्बे समय से चल रहा है, यह बात स्पष्ट हो गई । कौन किसी को फसाने के लिये जजो का उपयोग कर रहा है या कौन बचने के लिये यह विषय महत्वपूर्ण नही रहा। कुछ लोग कहते है कि इस घटना से लोकतंत्र को गहरा नुकसान हुआ है। मेरे विचार से ऐसा कहना ही गलत है । जब से न्यायपालिका सर्वोच्च सिद्ध करने की छीना झपटी मे शामिल हुई तब से ही न्यायपालिका लोकतंत्र की गिरावट मे शामिल हो गई थी। वर्तमान घटनाक्रम तो उसका स्वाभाविक परिणाम मात्र है । जिन चार जजो ने लोकतंत्र बचाने के नाम पर प्रेस कांफ्रेस की उनका भी लोकतंत्र से कोई लेना देना नही है। क्योकि सारा मामला व्यक्तिगत टकराव तक सीमित था जिसे सिद्धान्त का आवरण डाल दिया गया है। जिस तरह चार न्यायाधीश विपक्ष और खासकर वामपंथियां के पक्ष मे खडे दिखे उससे स्पष्ट होता है कि इस टकराव मे सत्ता संघर्ष भी पूरी तरह शामिल रहा । पिछले तीन वर्षो से दो विचारधाराओ के बीच खुला संघर्ष चल रहा है। साहित्य के क्षेत्र मे, कला के क्षेत्र मे तथा राजनीति के क्षेत्र मे तो टकराव स्पष्ट था ही। बहुतो ने इस टकराव से प्रभावित होकर अपने सम्मान लौटाये थे तो वही युनिवर्सिटीज इस वैचारिक टकराव मे शामिल दिखी। राजनैतिक दल तो इस टकराव के सुत्रधार रहे ही है। अब न्यायपालिका भी दो गुटो मे बटकर इस टकराव के हथियार के रूप मे प्रयोग मे आयी। लगता है कि दोनो पक्षो के बीच टकराव का यह अंतिम रणक्षेत्र है। न्यायपालिका को इस क्षेत्र से बचना चाहिये था। किन्तु कहावत है कि युद्ध से तो परिवार बच जाये किन्तु मंथरा बचने दे तब न। अंत मे मेरा यह मत है कि यह टकराव किसी भी रूप मे कोई बडी चिंता का विषय नही है। चार न्यायाधीशो ने जिस कदम को हाईड्रोजन बम समझ रखा था वह

फुस हो जाने से लोकतंत्र का कोई नुसकान नही हुआ है। यदि न्यायपालिका अपने पास शक्ति संग्रह की भूख से बच जाये तो ये सारे टकराव भी अपने आप समाप्त हो जायेगे और भ्रष्टाचार की भी चर्चा अपने आप खत्म हो जायेगी। लोकतंत्र अपनी तीन समकक्ष इकाइयों मे से किसी एक के शक्तिशाली होने से खतरे मे आता है। ऐसा लगता है कि उस खतरे पर विराम लग गया है।

प्रश्नोत्तर

श्री सिंघला जी अजमेर राजस्थान

ज्ञानतत्व का अंक 364 मिला। इस बार समग्र रूप से किन्तु सूक्ष्म मे विचार प्रस्तुत है। पृष्ठ–1 विचार–लोक स्वराज्य आदर्श स्थिति होती है। प्रश्न– लोक स्वराज्य क्या है? इसके किसी ऐतिहासिक स्वरूप का उदाहरण दे सकेंगे?

पृष्ठ 2 विचार– गैरकानूनी और अनैतिक को भी। प्रश्न–अनावश्यक कानून बनाकर साधारण जनता पर भी अपराधी होने का लेबुल लगाकर वाहवाही लूटना इतराना ही कहा जाना चाहिये। इस जद मे वे स्वयं भी आते तो है किन्तु वी आई पी होकर बच निकलते है। क्या यह सही है।

पृष्ठ 2 विचार– मद 10 सुरक्षा और न्याय की जगह.। प्रश्न–' क्योकि इसमे दायित्व नगण्य और मलाई अधिक है। चुनाव मे पानी की तरह पैसा वैसा ही नही बहाया जाता। मेरी सहमति है।

पृष्ठ 6 विचार– नाथूराम गोडसे एक उग्रवादी विचारो से संचालित व्यक्ति था। फांसी पर चढना पडा। प्रश्न– यदि आप गांधी वध क्यो पुस्तक पढ लेंगे तो निश्चय मानिये आपके विचार अन्यथा प्रभावित हुए बिना नही रहेंगे। आपके विचार पढकर मुझे यू पी की मुख्य मंत्री रहीं मायावती की याद आ गई। उन्होने देश के लिये अपनी जीवन बलिदान करने वाले स्वतंत्रता सेनानियों को आतंकवादी कह दिया था और उस पर किसी की कोई प्रतिक्रिया नही हुई। वस्तुतः आतंक वह है जिसका कोई लक्ष्य नही होता। हिटलर ने यहूदियों की बडी संख्या मे निर्मम हत्याए की । उसका उसके पीछे केवल उनसे घृणा करना कारण था। इसी प्रकार आज का मुस्लिम आतंकवाद है। क्या उसका कोई तर्कपूर्ण उददेश्य है?

इसी क्रम मे आपने हिन्दू आतंकवाद की बात करते हुए कहा कि हिन्दू आतंकवाद का खतरा पूरी तरह समाप्त हो गया है। आपकी यह बता सही नही है और समझ से परे है। हिन्दू आतंकवाद पर कुछ प्रकाश डाल सके तो अच्छा हेागा।

गांधी वध क्यो पुस्तक से दो उद्धारण––

क– मुझे इस बात मे कोई संदेह नही है कि यदि उस दिन के श्रोतागणो को जूरी बनाकर गोडसे की अपील का निर्णय करने को कहा जाता तो वह भारी बहुमत से निरपराध घोषित होता। जस्टिस खोसला

ख– यदि देश भक्ति पाप है तो मै मानता हूँ मैने पाप किया है। यदि प्रशंसनीय है तो मै अपने आपको उस प्रशंसा का अधिकारी मानता हूँ। मुझे विश्वास है कि मानव द्वारा स्थापित न्यायालय के उपर कोई न्यायालय हो तो उसमे मेरे काम को अपराध नही समझा जायेगा। मैने देश और जाति की भलाई के लिये यह काम किया । मैने उस व्यक्ति पर गोली चलाई जिसकी नीति से हिन्दुओ पर घोर संकट आये हिन्दू नष्ट हुए। नाथू राम गोडसे

पृष्ठ 27 विचार– जस्टिस भगवती ने जनहित याचिकाओं को चुनने का जो असंवैधानिक अधिकार।

प्रश्न– 'याचिका सुनने का अधिकार असंवैधानिक कैसे माना? आगे आपने लिखा है कि न्यायपालिका दुरूपयोग करने लगी.....' यह कैसे? इसे कृपया स्पष्ट करे ।

आपने लिखा है कि तानाशाही मे जिन्दगी को छीनने के अवसर ही नही मिलते.यह बात समझ मे नही आयी। पृष्ठ 29 दलितो की परिभाषा की चर्चा है। किसी काम को करने के लिये योजना बनानी होती है । बडे काम को अंजाम देने के लिये समस्याओ को विभाजित यानी उसका विश्लेषण करना होता है। इसी विचार को लेकर भारत मे वर्ण व्यवस्था को स्वरूप प्रदान किया गया था। किसी भी व्यवस्था के चलते चलते उसमे दोष आने लगते हैं यह स्वाभाविक है। परिवर्तन प्रकृति का अटल नियम है। ऐसे मे वर्ण व्यवस्था मे जो दोष आये उन्हे दूर करने की आवश्यकता थी। इसके विपरीत लोकतांत्रिक राजनीति ने उस सामाजिक व्यवस्था को रद्दी की टोकरी मे डाल कर नाना विभाग तैयार कर व्यवस्था को छिन्न भिन्न कर दिया। यदि आम जन ही ऐसी समस्याओं को सुलझा ले तब मनीषियों की क्या आवश्यकता है। उसकी क्या अहमियत है। इसके विपरीत आज के लोकतंत्र मे अयोग्य को ही जगह है। अयोग्य को ही सम्मान पूर्वक जीने का अधिकार है किन्तु वह भी यह नही कहता कि उसे दूसरे का हक छीन कर दो । दूसरे का हक छीन कर देना अल्पकालीन सत्तासीन रहने वाले लोगो की ओछी नीति ही हो सकती है।

महात्मा गांधी को राष्ट्र पिता किसने कब और क्यो कहा? इसकी क्या कोई सार्थकता है। हो सके तो प्रकाश डाले। राजनीति शास्त्र के अनुसार देश एक भूखंड होता है। उसे राष्ट्र बनने या कहलाने के लिये उसमे कुछ विशेषताऐ होनी चाहिये। वे विशेषताएं राष्ट्र के तत्व कहे जाते है। उनके होते देश राष्ट्र कहलाता है। नेहरू इस सोच से सहमत नहीं थे।

भ्रूण हत्या विषयक आपका चिंतन सही है।

आपने प्रधान मंत्री मोदी जी की पर्याप्त प्रशंसा करते हुए संघ परिवार को कुछ नसीहत दी है, संदेश दिया है। यह इतिहास है और अटल सत्य है कि मोदी और संघ परिवार एक दूसरे के पूरक है। इस दृष्टि से उनके विषय मे टिप्पणी करना या सुझाव देने जैसी भावना क्या अनावश्यक प्रतीत नही होती । यह भावना संघ फोबिया का स्वरूप प्रस्तुत करती है।

उत्तर—मेरे विचार मे लोक स्वराज्य वह स्थिति होती है जिसमे राज्य सुरक्षा और न्याय तक सीमित रहकर परिवार या समाज की अपनी आंतरिक व्यवस्था मे कोई दखल नही देता। लोक स्वराज्य की भूमिका जनकल्याणकारी राज्य की न होकर जनकल्याणकारी समाज के सहायक की होती है। जन कल्याण समाज का कार्य होता है राज्य का नही । जो राज्य सुरक्षा और न्याय भी न दे सके और जनकल्याण का नाटक करते रहे ऐसे राज्य को एक क्षण भी स्वीकार नही करना चाहिये।

गोडसे की अन्ध राष्ट्र भक्ति पर मुझे न पहले संदेह था न अब है। गोडसे जिस विचार धारा से प्रभावित था वह विचारधारा दोषी थी जिससे प्रभावित होकर गोडसे ने राष्ट्रभक्ति का गलत अर्थ समझ लिया। यदि वह गांधी के सम्पर्क मे रहा होता तो वह नेहरू पटेल की तुलना मे अधिक बढ चढ कर स्वतंत्रता संग्राम मे भाग लेता और देश को स्वतंत्रता के बाद गांधी विचारो से ओत प्रोत गोडसे का नेतृत्व मिला होता। अर्थात हम लोग गांधी के नाम का दुरूपयोग करके गांधी विचारो की हत्या करने वाले नेहरू अम्बेडकर पटेल आदि से बच जाते । किन्तु यह हमारा दुर्भाग्य था कि गोडसे गांधी को बदले गांधी विरोधी विचारधारा वालो के प्रभाव मे आ गया और उसने देश भक्ति की गलत परिभाषा समझ ली। देशभक्ति का अर्थ कानून को ठीक कराने से लिया जाना चाहिये।कानून तोडने से नही। यदि कानून तोडना ही देश भक्ति की कोई परिभाषा है तो नक्सलवादी देशभक्त है या नही इसपर भी विचार करना होगा। स्पष्ट है कि मै लोकतंत्र मे किसी भी प्रकार की हिंसा का विरोधी हूँ चाहे वह हिंसा देश भक्ति के लिये ही क्यो न की गई हो।

मेरे विचार मे भारतीय संविधान के अनुसार विधायिका और न्यायपालिका की सीमाएं स्पष्ट है। न्यायपालिका कानून के अनुसार न्याय करने के लिये बाध्य है। इसका स्पष्ट अर्थ है कि न्यायपालिका जनहित को परिभाषित नही कर सकती। सिर्फ विधायिका ही कर सकती है। किन्तु विधायिका ने सन पचास से ही असंवैधानिक तरीके से न्यायपालिका और कर्यपालिका को कमजोर करना शुरू कर दिया था। इसलिये न्यायपालिका द्वारा जनहित याचिकाएं सुनने के असंवैधानिक कार्य को भी आज तक चुनौती नही मिली।न्यायपालिका और विधायिका के बीच सर्वोच्चता का टकराव बहुत घातक है। आज हम सत्तर वर्षो से इस टकराव के दुष्परिणाम देख रहे है। वर्तमान समय मे भी यह टकराव खतम होता नही दिख रहा।

न्यायपालिका के विकेन्द्रीयकरण से मेरा स्पष्ट आशय यह है कि न्यायपालिका स्वयं को जनहित याचिकाओ से दूर कर ले। न्यायालयो को प्रशासनिक या कार्यपालिक आदेश न देकर सिर्फ न्यायिक आदेश तक सीमित कर लेना चाहिये । न्यायपालिका को चाहिये कि वह अपराध गैर कानूनी तथा अनैतिक के अंतर को समझे और तदनुसार अपनी प्राथमिकता बनावे। आपराधिक मुकदमो को प्राथमिकता दे तथा गैर कानूनी अनैतिक को समय मिलने पर निपटाने के लिये टाल दे।

जहां तक मोदी जी और संघ की चर्चा है तो मै संघ और मोदी को एक दूसरे का पूरक नही मानता । मै कभी संघ का प्रशंसक नही रहा । मेरे विचार मे संघ परिवार कभी भी स्वतंत्र शासन व्यवस्था का पक्षधर नही रहा । संघ चाहता है कि जो भी व्यक्ति सत्ता मे आवे वह उसी तरह का हो जिस तरह सोनियां गांधी की कठपुतली मनमोहन सिंह रहे । ऐसा कठपुतली प्रधानमंत्री न अटल जी रह सके न ही नरेन्द्र मोदी रह पायेंगे। अभी तो प्रवीण तोगडिया से शुरूआत हुई है। इस संबंध मे इसी अंक मे आतंकवाद विषय पर व्यापक चर्चा हुई है।

उत्तरार्ध द्वारा नवीन शर्मा

पुरातन काल में भारत विचारो एवं धन सम्पदा, दोनों ही मामलों में काफी धनी था। भारत में अनेक महापुरुषों ने जन्म लिया और अपने विचारों से विश्व स्तर पर भारत का मान बढ़ाया। विगत दो तीन हजार वर्षो में भारत इन दो स्तरों पर काफी कमजोर हुआ है। ऐसा होने के पीछे कई कारण हैं।सबसे पहला कारण राजनीति धर्म समाज जैसे सभी क्षेत्रो का व्यवसायीकरण हो जाना और फिर व्यवसायीकरण का राजनीतिकरण हो जाना। इसका सबसे बड़ा नुकसान लोगो में नैतिक पतन के रूप में दिखाई पड़ा। नैतिक पतन ही वजह है कि भारत में अपराध एवं भ्रष्टाचार की समस्याएं दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही हैं।लूट, चोरी, हत्या व बलत्कार जैसे अपराध तो अब सामान्य सी घटनाएं लगने लगीं हैं। यह बात बजरंग मुनि जी ने विचार मंथन की जनवरी माह की बैठक में व्यक्त किये। मुनि जी ने आगे बोलते हुये कहा कि भारत में अपराध की अत्यधिक

समस्याएं राज्यों की असक्रियता के वजह से हैं। अगर राज्य अपने कर्तव्यों का निर्वहन सही प्रकार से करे और आपराधिक समस्याओं को खत्म करने का प्रयास करे तो आपराधिक समस्याओं के साथ साथ भ्रष्टाचार और चरित्र हनन की समस्याएं भी स्वतः समाप्त हो जाएँगी।

आर्थिक तौर पर भारत में दो समस्याएं मुख्य रूप से हावी है। पहली समस्या असमान आय स्तर है तो दूसरी समस्या श्रम शोषण की है। असमान आय स्तर की स्थिति आजादी के बाद से ही लगभग वही बनी हुयी है। देश के लगभग 90 प्रतिशत संसाधनों पर कुछ ही लोगो का हक है । वही लोग निर्धारित करते हैं भारत की आर्थिक नीतियां किस प्रकार कार्य करेंगी। इस वजह से गरीब और गरीब और अमीर और अमीर होता चला गया। यही कारण है कि देश के गरीबों में व्यवस्था के प्रति काफी गुस्सा है। दूसरी समस्या श्रम शोषण की है। मेहनतकशों को उनके श्रम के मुताबिक मेहनताना नही मिल पाता है।

सरकार दुनिया को यह दिखाती फिरती है कि अर्थव्यवस्था के तौर पर भारत बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है लेकिन आंतरिक तौर पर स्थितियां बिलकुल उसके उलट है। भारत अभी भी आयात व निर्यात के क्षेत्र में असन्तुलन, किसानों की आत्महत्या, अत्याधिक विदेशी कर्ज जैसी समस्याओं से जूझ रहा है।इन सभी समस्याओं का मुख्य कारण भारत सरकार की गलत अर्थनीति है। अगर भारत अपनी अर्थनीति में सुधार करे एवं अर्थव्यवस्था को खोल दे और पूर्ण रूप से उसे बाजार पर निर्भर कर दे तो अनेक आर्थिक समस्याओं का निवारण बाजार खुद ब खुद कर लेगा। बाजार के स्वतंत्र होने से छोटे मझोले किसान कामगार खुद अपने आय के स्तर में सुधार कर लेंगे। इससे बेरोजगारी के स्तर में भी कमी आएगी और युवाओं को रोजगार का अवसर बाजार द्वारा ही प्राप्त हो जायेगा।

बजरंग मुनि जी ने आगे कहा कि आज दुनिया में नित नए नए अविष्कार हो रहे हैं।यहां तक कि कृत्रिम मानवों का भी अविष्कार हो चुका है।रोज नई नई बीमारियां सामने आ रहीं हैं और उनका इलाज भी खोजा जा रहा है।विश्व जितनी तेजी से विज्ञान की ओर अग्रसर है उतनी ही तेजी से नैतिक एवं सामजिक पतन की तरफ भी बढ़ रहा है।भारत भी इससे अछूता नही है।भारत में नैतिक पतन पर गौर करें तो पाते हैं कि आजकल छोटी छोटी बच्चियों तक से बलात्कार हो जाता है।भाई भाई को मार देता है।यह सब नैतिक पतन का ही परिणाम है।सामजिक पतन के रूप में जन्म आधारित वर्ण और जाति व्यवस्था भारत में व्याप्त सबसे गंभीर समस्याओं मे से एक है।इन चीजों में तभी सुधार लाया जा सकता है जब हम घर में अपने बच्चों को अच्छी नैतिक एवं सामजिक शिक्षा प्रदान करें। अगर ऐसा ही रहा तो आने वाले समय में स्थितियां और भी भयावह हो सकती हैं।

मुनि जी ने इस बात को और स्पष्ट करते हुये कहा कि धर्म और संस्कृति के आधार पर भी भारत में समस्याएं व्याप्त है।धर्म का अर्थ कर्तव्य होता है और संस्कृति का अर्थ कुछ कार्यों को बिना बिचारे बार बार करना। धीरे धीरे वह आदत में शुमार हो जाती है। उन कार्यो को हम संस्कृति का नाम दे देते है। अक्सर लोग धर्म को पूजा पद्धति से जोड़ लेते हैं परन्तु यह ऐसा नही ।आज कई संस्थाएं खुद को धर्म घोषित कर दी है और धर्म एवं संस्कृति के नाम पर देश भर में माहौल को दूषित करने का कार्य कर रही हैं।धर्म एवं संस्कृति का अर्थ यह बिल्कुल भी नही है।

इस बार की मासिक बैठक में बजरंग मुनि जी ने संविधान को लेकर बहुत ही महत्वपूर्ण विचार रखते हुये कहा कि भारतीय संविधान में व्याप्त समस्याओं को देखने के लिए हम संविधान का विश्लेषण करते हैं तो हमें यह ज्ञात होता है कि भारतीय संविधान अन्य देशों की नकल है।जिस देश का लोकतंत्र ही गुलाम हो उसमे कितनी समस्याएं होंगी।

भारतीय संविधान में जो समानता का तत्व निहित है वह पूरी तरह से छलावा मालूम पड़ता है क्योंकि आर्थिक और क्षमता के स्तर पर दो व्यक्ति कभी एक समान नही हो सकते। वर्तमान परिदृश्य में भारत अनेक गंभीर समस्याओं से जूझ रहा है जिन्हें सुलझाना अति आवश्यक है।